

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अठासी'

[11/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 5472]

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-5472 के भाग-(ख) की जानकारी

मान. सदस्य - श्री संजय पाठक

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान की जानकारी

क्रमांक	सौर संयंत्र	क्षमता	अनुदान राशि (प्रति एच.पी) (रूपये में)
1.	डी.सी. सोलर पम्प	2 एच.पी. तक	43200/-
		2 एच.पी. से अधिक 5 एच.पी. तक	40500/-
2.	ए.सी. सोलर पम्प	2 एच.पी. तक	37800
		2 एच.पी. से अधिक 5 एच.पी. तक	32400/-
		5 एच.पी. से अधिक 10 एच.पी.* तक	28800/-

* सोलर पम्प की क्षमता 5 एच.पी. से अधिक होने पर भी केन्द्रीय अनुदान 5 एच.पी. के क्षमता के सोलर पम्प तक ही सीमित रहेगा।